

प्रेषक,

नीता चौधरी  
54 सगिव  
3040 शासन

सेवा में,

तधान गुह्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,  
3040 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 मार्च 2023  
विषय- मा0 मुख्यमंत्री जी 3040 शासन द्वारा जनपद औरैया के अन्तर्गत तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊंचे स्थान पर बसाये जाने के लिये दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु वन विभाग की 3943 हे0 आरक्षित वनभूमि के विनिगम के सम्बन्ध में गैरवाणिज्यी प्रयोग एवं बाधक 508 गृहों के पातन/दानसप्तान्त की अनुमति के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/REHAB/149021/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 3040 लखनऊ के पत्रांक-1961/11-सी-एफपी/यूपी/REHAB/149021/2021 दिनांक 09.12.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके परीक्षणोपराट्ट कतिपय कमियां पायी गई हैं :-

- 1- वन भूमि के गैरवाणिज्यी प्रयोग के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथासंशोधित वन (संरक्षण) रू-स-2(122) में विनिमय के साधारण वनभूमि का गैरवाणिज्यी प्रयोग की कोई व्यवस्था है ?
- 2- प्रस्ताव में उल्लिखित है कि वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के प्रभावित समतुल्य भूमि राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा ग्रामवासियों को बसाने हेतु ऊंचाई पर क्यों नहीं भूमि उपलब्ध करायी जा रही है, क्या राजस्व विभाग के पास ऊंचाई वाले स्थान पर भूमि नहीं है ?
- 3- उपलब्ध करायी गयी आख्या में त्रुटिवश विनिमय शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में रक्षित सभी प्रमाण पत्रों को संशोधित क्यों नहीं किया गया है और यह भी स्पष्ट किया जाये कि त्रुटि किस स्तर पर हुई है ?
- 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथासंशोधित वन (संरक्षण) रू-स-2022 के आलोक में उपरोक्तसार स्थिति स्पष्ट करोते हुए सुस्पष्ट आख्या/प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(नीता चौधरी)  
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 3040 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(नीता चौधरी)  
उप सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 3040, लखनऊ।

पत्रांक- 111सी- FP/UP/REHAB/149021/2021, दिनांक, लखनऊ, मार्च 17 2023

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि 3040 शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया को इस आशय से प्रेषित कि 3040 शासन द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, तहसीलदार, राजस्व विभाग, औरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
3040, लखनऊ।